कार्यालयः अधीक्षण अभियन्ता, एम–42
लोक निर्माण विभाग, (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार)
सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई ममपमनई
दिल्ली–110025
दूरभाष / फैक्स संख्या : 26322484 26837368
ईमेल आई.डी. : sepwddelhim42@gmail.com

O/o THE SUPERINTENDING ENGINEER, M-42
PWD, (Govt of N.C.T. of Delhi)
Sukhdev Vihar, Mathura Road, New Delhi-110025.
Telephone/Fax No : 26322484 26837368
E-mail ID : sepwddelhim42@gmail.com

सं : 61 (1) / सि0भ0अनु0परि0 एम–42 / 1486

दिनांक 5 / 08 / 2014

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
सिविल भवन अनुरक्षण मंडल एम–422,
लो.नि.वि, (रा.रा.क्षे.दि.स.)
मालवीय नगर, नई दिल्ली ।

विषयः दिनांक 30 /07 / 2014 को 20 नम्बर एस.पी.एस. वीर हकीकतराय स्कूल, खानपुर, दिल्ली का निरीक्षण नोट ।

उपरोक्त कार्य का निरीक्षण दिनांक 30.07.2014 को कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तथा ठेकेदार के साथ किया गया और निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि :–

1 भवन का एक खण्ड शिक्षा विभाग को पहले ही सौंप दिया गया है और उसमें कक्षाएं भी चल रही हैं । इसके पश्चात् कुछ अन्य कमरों के निर्माण के लिए कार्यस्थल उपलब्ध कराया गया है । अभी चल रहे कार्यों में बरामदें के कुछ पिलर सीध में नहीं है जिन्हें तोडकर पुनः बनाया जाये ।

2 दीवार के कोने तथा टी–जंक्शन पर भूकम्प–रोधी प्रावधानों के अनुसार लोहे के सरिये लगाये जायें ।

3 कार्यस्थल पर कार्य रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण निरीक्षण के दौरान उनकी समीक्षा नहीं की जा सकी । दिनांक 31.07.2014 को रजिस्टरों के रिव्यू से यह देखा गया कि कार्यस्थल रजिस्टर में से एक रजिस्टर पर संख्या नहीं है । यह भी देखा गया कि ठेकेदार को भुगतान करने के दौरान इन रजिस्टरों को रिव्यू मंडल कार्यालय में किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया । अडचन रजिस्टर में विद्युत विभाग द्वारा कार्य न करने की अडचन दर्ज तथा उसका अनुमान प्रतिशत ठीक से नहीं किया गया ।

4. टेस्ट रजिस्टर में किसी भी प्रकार की कोई भी टेस्ट रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है केवल रिपोर्ट प्राप्त करने की संख्या दर्ज की गई है और ये रजिस्टर भी मंडल कार्यालय में पेमेन्ट के दौरान रिव्यू नहीं किए गए । रजिस्टर इस ढंग से बनाया गया है जिससे यह जानना मुश्किल है कि किस सामग्री के कितने टेस्ट किए गए है ।

कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त बिन्दुयों पर उचित कार्यवाही कर अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें और भविष्य में यह सुनिश्चित करें कि सभी रजिस्टर अद्योहस्ताक्षरी के निरीक्षण के दौरान करार की प्रति के साथ कार्यस्थल पर उपलब्ध हो । करार की शर्तो के अनुसार जो रजिस्टर ठेकेदार को जारी होने है वह ठेकेदार को जारी किए जायें और जो विभाग के अधिकारियों को जारी किये जाने है वह अधिकारियों को जारी किए जाएं ।

अधीक्षण अभियंता
सि.भ.अनु.परि, एम–42, लो.नि.वि.
सुखदेव विहार, नई दिल्ली–25